सख्या:-79/2024/आई707650/001-333आ0-23-5002-002-61-2024
(कम्प्यूटर संख्या-1834189)

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 01 अगस्त, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद लखनऊ, मुरादाबाद, हमीरपुर व बांदा के 05 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, बजट 'ख' वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-9426/CE-BLD/BUILD(NON)CHALU/LKO/2024-25, दिनांक 10.07.2024, सं0-9301/CE-BLD/BUILD(NON)CHALU/MBD/2024-25, दिनांक 28.06.2024, सं0-9160/CE-BLD/BUILD (NON)CHALU/BAN/2024-25, दिनांक 18.06.2024, सं0-9427/CE-BLD/BUILD (NON)CHALU /BAN/2024-25, दिनांक 10.07.2024 एवं सं0-9584/CE-BLD/BUILD(NON) CHALU/BAN/2024-25, दिनांक 24.07.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद लखनऊ, मुरादाबाद, हमीरपुर व बांदा के 05 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि में से **रू0 37.44 लाख (रू0 सैंतीस लाख चौवालीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजना वार स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	क्षेत्र से मांग	मुख्यालय द्वारा संस्तुत धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(धनराशि लाख रू0 में)				
1	19/2019/16आ0/23-5-19-50(14)ईजी/2016, दिनांक 08.03.2019 एवं 08/2020/02आ0/23-5-20-50(14)ईजी/2016, दिनांक 07.02.2020 एवं 58/2020/214आ0/23-5-20-50(83)ईजी/2014टीसी, दि0 23.09.2020 एवं 20/2021/358आ0/23-5-20-50(14)ईजी/2016, दिनांक	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0 परिसर स्थित भवनों फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थापना का कार्य।	484.89	53.00	431.89	390.82	0.00	41.07	41.07	16.00	16.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	29.01.2021 एवं 82/2021/208आ0/23-5-21-50(14)ईजी/2016, दिनांक 03.08.2021 एवं 31/2022/51आ0/001-23-5-22-50(14)ईजी/2016, दिनांक 22.07.2022 एवं 84/2023/001-163आ0/23-5-23-50(14)ईजी/2016, दि0 30.03.2023 एवं 154/2023/आई376517/001-290आ0/23-5002-002-29-2023-02(भवन)/2020टीसी दिनांक 28.08.2023 एवं 47/2024/आई526578/001-216आ0/23-5002-002-30-2024, दिनांक 21.03.2024										
2	21/2020/24आ0/23-5-20-50(83) ईजी/2014टीसी, दिनांक 17.03.2020 एवं 59/2020/191(1)आ0/23-5-20-50(14)ईजी/16, दिनांक 29.09.2020 एवं 70/2021/164आ0/23-5-21-50(14) ईजी/2016, दिनांक 22.07.2021 एवं 31/2022/51आ0/001-23-5-22-50(14)ईजी/16, दिनांक 22.07.2022 एवं 10/2023/001-234आ0/23-5-22-50(83)ईजी/2014टीसी, दिनांक 31.01.2023	मुरादाबाद में लो0नि0 वि0 परिसर में अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त व अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड के कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य।	91.47	0.00	91.47	86.47	0.00	05.00	05.00	05.00	05.00
3	48/2023/001-63आ0/23-5-23-09(भवन)/2023, दिनांक 13.03.2023 एवं 19/2024/आई498122/001-113आ0/23-5002-002-11-2024, दिनांक 20.02.2024	हमीरपुर के निरीक्षण भवन (डाक बंगला) राठ परिसर में खण्डीय प्रयोगशाला का निर्माण कार्य।	21.07	00.71	20.36	18.96	0.00	01.40	01.40	01.40	01.40
4	48/2023/001-63आ0/23-5-23-	हमीरपुर में प्रयोगशाला के	21.83	0.03	21.80	09.76	0.00	12.04	12.04	12.04	12.04

http://shasanadesh.up.gov.in

	09(भवन)/2023 दिनांक 13.03.2023 एवं 47/2024/आई526 578/001-216आ0/23-5002-002-30-2024, दिनांक 21.03.2024	विस्तार का कार्य।									
5	48/2023/001-63आ0/23-5 -23-09(भवन)/2023, दिनांक 13.03.2023 एवं 166/2023/आई396 540/001-312आ0/23-5002-002-35-2023-09(भवन)/2023टीसी, दिनांक 27.09.2023	निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बांदा में खण्डीय प्रयोगशाला का निर्माण कार्य।	29.75	0.15	29.60	26.60	0.00	03.00	03.00	03.00	03.00
								62.51	**62.51**	**37.44**	**37.44**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) विद्युत/यॉत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा सम्बन्धित विद्युत/यॉत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 37,44,000(रूपये सैंतीस लाख चौवालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-055 लेखाशीर्षक 4059600510400 अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

..../04..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-79/2024/आई707650/001-333आ0(1)/23-5-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी लखनऊ, मुरादाबाद, हमीरपुर व बांदा।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ, मुरादाबाद, हमीरपुर व बांदा।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, बांदा क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, यॉत्रिक वृत्त(लखनऊ), विश्वबैंक(मुरादाबाद) वृत्त, हमीरपुर वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, यॉत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।
14- अधिशासी अभियन्ता, विश्वबैंक खण्ड, सम्भल।
15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, हमीरपुर।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हमीरपुर।
17- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, हमीरपुर।
18- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।